UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या:–1226–औसं–17/पाकालि/2022–11(01)ए0एस0/09 (20) **दिनांक: 06 अप्रैल, 2022**

विषय:– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 31.07.2021 से अग्रेतर दिनांक 01.08.2021 से 30.04.2022 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1501–औ0सं0–17/पाकालि/2021 दिनांक 15.06.2021 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं नवीनतम् पंजीकरण प्रमाण–पत्र जो दिनांक 30.04.2022 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या–3593–औस–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–3330–औसं/2018–11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन दिनांक 31.07.2021 से अग्रेतर दिनांक 01.08.2021 से 30.04.2022 तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :–

क्रम सं0	चिकित्सालय का नाम व जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	लाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, 560/95 कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.04.2022
2	सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर, प्रा0लि0, 57–बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।	30.04.2022

1. उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:– 1226–(1) औसं–17/पाकालि/2022–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यॉंचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमाँचल,मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉं तल,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, लाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, 560/95 कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ।
15. सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर, प्रा0लि0, 57–बीं, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ
16. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
19. कट फाइल।

भवदीय,

Nat Mathur 6.4.22

(नवनीत माथुर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

Medical New Letter